न्यायालय–शैलजा गुप्ता, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गुना (मध्य–प्रदेश)

[आदेश दिनांक–26.07.2025]

ST Registration No.	:–	**ST/44/2024**
Filing No.	:–	**ST/2133/2024**
C.N.R. No.	:–	**MP08010024942024**
Filing Date	:–	**06.04.2024**

(पुलिस थाना कोतवाली, जिला–गुना के अपराध क्रमांक 114/2024 अंतर्गत धारा– 294, 323, 506, 34, 394 भा.द.सं., 1860 से उद्भूत प्रकरण)

शासन	:–	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा:– पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला गुना (मध्य प्रदेश)।
प्रतिनिधित्व द्वारा	:–	श्री नृपाल सिंह यादव ए0जी0पी0
अभियुक्त	:–	1. राहुल उर्फ सहदेव पुत्र लक्ष्मण, आयु– 22 वर्ष, निवासी–बूढे बालाजी, थाना कोतवाली, जिला गुना म.प्र. 2. रचना पत्नी नकुल यादव, आयु– 25 वर्ष, निवासी– महावीरपुरा, हाल निवासी– भार्गव कॉलोनी, जिला गुना म.प्र. 3. मनीषा पत्नी अंकित रजक, आयु– 24 वर्ष, निवासी– पठार मोहल्ला, थाना कैंट, जिला गुना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	:–	श्री सीताराम यादव अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	15.02.2024
प्र.सू.रि की तारीख	16.02.2024
आरोप–पत्र की तारीख	23.03.2024
आरोप की विरचना की तारीख	18.12.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	21.07.2025
आदेश सुरक्षित किए जाने की तारीख	25.07.2025
आदेश की तारीख	26.07.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
पुरूष	राहुल	16.02.2024	06.04.2024	धारा 294, 323 सहपठित धारा 34, 394 सहपठित धारा 34, 506 भाग– 2 भा.दं.वि.	दोषमुक्त	–	50 दिवस
महिला	रचना	16.02.2024	06.03.2024	धारा 294, 323 सहपठित धारा 34, 394 सहपठित धारा 34, 506 भाग– 2 भा.दं.वि.	दोषमुक्त	–	19 दिवस
महिला	मनीषा	16.02.2024	07.03.2024	धारा 294, 323 सहपठित धारा 34, 394 सहपठित धारा 34, 506 भाग– 2 भा.दं.वि.	दोषमुक्त	–	20 दिवस

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–01	पुरूषोत्तम यादव	फरियादी
अ.सा.–02	अशोक धाकड़	चक्षुदर्शी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1–	प्रदर्श पी–1	रिपोर्ट
2–	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका
3–	प्रदर्श पी–3	रसीद
4–	प्रदर्श पी–4	जप्ती पंचनामा
5–	प्रदर्श पी–5	शिनाख्ती पंचनामा
6–	प्रदर्श पी–6	पुलिस कथन साक्षी पुरूषोत्तम
7–	प्रदर्श पी–7	पुलिस कथन साक्षी अशोक

ख. प्रतिरक्षा :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	–	–

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–1	पेनड्राईव

"आदेश"
अंतर्गत धारा–232 दं.प्र.सं., 1973

(आज दिनांक–26.07.2025 को पारित किया गया।)

1. अभियुक्तगण पर भा.दं.सं., 1860 की धारा– 294, 323 सहपठित धारा 34, 394 सहपठित धारा 34, 506 (भाग–2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप है कि उन्होनें दिनांक 15.02.2024 को समय करीब 19.00 बजे से 19.20 बजे के मध्य संजीवनी क्लीनिक के समीप सार्वजनिक स्थान पर फरियादी पुरूषोत्तम यादव को मां–बहन की अश्लील गंदी गालियां दीं, जिससे फरियादी को क्षोभ कारित हुआ तथा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी पुरूषोत्तम यादव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर हाथ–थप्पडों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की व फरियादी पुरूषोत्तम के गले से सोने की चैन छीनकर लूट कारित की एवं फरियादी पुरूषोत्तम यादव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा होने से अभियुक्तगण को धारा– 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग–2) भा.द.सं. में आदेश पत्रिका दिनांक– 21.07.2025 अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है, यह आदेश अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 394 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. में पारित किया जा रहा है।

3. (I) अभियोजन कथनांक संक्षिप्तः यह है कि फरियादी पुरूषोत्तम यादव ने अपने दोस्त के साथ दिनांक– 16.06.2024 को शाम 06.00 बजे थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15.02.2024 के शाम करीबन 07:00 बजे

फरियादी पुरूषोत्तम अपने दोस्त अशोक धाकड़ के साथ बाजार से अपने घर विध्यांचल कॉलोनी नयापुरा के रास्ते से जा रहा था, रास्ते में संजीवनी क्लीनिक की तरफ जाते समय गैस एजेंसी के आसपास एक मोटर साईकिल वाला लड़का मोबाईल पर बात करते हुये उसे कट देकर आगे निकला जिसे उसने टोका था। फरियादी ने मोटर साइकिल संजीवनी क्लीनिक के पास साईड में लगाई तभी एक स्कूटी फरियादी की मोटरसाईकिल के आगे आकर रूकी जिस पर दो लड़कियां बैठी थी और एक मोटरसाईकिल फरियादी की मोटरसाईकिल के पीछे आकर रूकी जिसको एक लड़का चला रहा था, तभी स्कूटी पर पीछे बैठी हुई लड़की उतर कर उसके पास आई और उसे मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगे थे। स्कूटी वाली लडकियां और मोटरसाईकिल वाला लडके ने यह कहते हुए उसकी लात–घूसों मुक्कों व थप्पड़ों से मारपीट करने लगे तभी वहां पर गली में आने–जाने वाले लोग इक्ट्ठे हो गये, उसके दोस्त ने और जनता ने बीच–बचाव किया था। वह तीनों मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे थे तथा मारपीट में फरियादी को गर्दन के नीचे बायें तरफ, दोनों हाथों के पंजों में खरोंच एवं मुंदी चोट आई थी। कुछ देर पश्चात् रिपोर्ट लिखाने थाने आते समय फरियादी ने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर की बटन टूटी हुई थी और उसकी सोनी की चैन उसके गले में नहीं थी। इसके पश्चात् फरियादी वापस संजीवनी क्लीनिक नयापुरा रोड़ पर गया, तो वहां पता चला की जो लडकी स्कूटी चला रही थी, उसका नाम रचना और जिसने उसकी सबसे पहले मारपीट की थी, उसका नाम मनीषा रजक है तथा जिस लड़के ने उसे कट मारा था, उसका नाम राहुल था। इसके पश्चात् फरियादी ने वीडियो फुटेज देखी व उक्त लोगों की तलाश की फिर फरियादी उक्त घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाने थाने आए थे।

3. (II) फरियादी की सूचना पर से रिपोर्ट प्र.पी. 01 थाना कोतवाली गुना में अपराध क्रमांक 114/2024 धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. पर दर्ज की गई। प्रकरण का अनुसंधान स.उ.नि. राजेन्द्र कुमार गौड़ के द्वारा किया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.02 बनाया गया। फरियादी पुरूषोत्तम यादव एवं साक्षी अशोक धाकड़ के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं साक्षी के कथनों के आधार पर धारा–394 भा.दं.वि. की इजाफा की गई। दिनांक– 16.02.2024 को अभियुक्तगण रचना यादव, मनीषा रजक एवं राहुल को गिरफ्तार कर मेमोरेण्डम लेख किया, जिसमें अभियुक्तगण रचना यादव, मनीषा रजक एवं राहुल द्वारा अपराध करना स्वीकार किया। अभियुक्त रचना से घटना में प्रयुक्त जुपीटर क्रमांक एम.पी. 08 जेड.ए. 0542 को समक्ष पंचान विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्त राहुल को पी. आर. पर लिया गया, पी.आर. के दौरान अभियुक्त राहुल से घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 08 एम.पी. 3465 जप्त की गई। अभियुक्त राहुल से पूछताछ की गई जिसमें अभियुक्त राहुल ने लूटी गई चैन उमरिया रोड़ गुना के किनारे झाडियों में छिपाना बताया था, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा झाडियों से एक सोने जेसी पीली धातू की चैन टूटी हुई पेश की, जिसे जप्त किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा चैन की शिनाख्ती फरियादी द्वारा कराकर शिनाख्ती पंचनामा प्र. पी. 05 बनाया गया। जप्तशुदा चैन न्यायालय के आदेशानुसार फरियादी को सुपुर्दगी पर दी गई। अभियुक्तगण राहुल, मनीष रचना के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो उपार्पण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जो विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. आरोपीगण के विरूद्ध कोई तथ्य न आने से धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत आरोपी प्रश्न नहीं बनाये गये। 232 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार होने से आदेश 232 द.प्र.सं. के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।

5. **प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि –**

''क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में संलिप्त होने के संबंध में प्रमाण का अभाव है?''

//सकारण निष्कर्ष//

6. इस संबंध में अभियोजन की ओर से मात्र फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा. 01) एवं चक्षुदर्शी साक्षी अशोक (अ.सा.02) की साक्ष्य कराई गई है। फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) व साक्षी अशोक (अ.सा.02) ने अपने कथनों में यह बताया है कि वह अभियुक्तगण राहुल, मनीषा, रचना को नहीं जानता है। घटना उसके(न्यायालयीन कथन दिनांक– 11.07.2025 से) अर्थात् पिछले वर्ष फरवरी माह की शाम के 07 बजे की होकर नयापुरा की है। अशोक के पैर में पट्टा चढा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था इसलिए वह जिला चिकित्सालय गया था, अशोक के पैर में अत्यधिक जलन व दर्द होने से उसने मेडीकल के पास दवा लेने के लिए गाडी खडी की तो एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाईकिल टकरा गई, जिसके कारण उन लोगों में आपस में कहा–सुनी हो गई थी और मुंह–बाद हो गया था, जिससे घटना स्थल पर काफी लोग एकत्रित हो गए थे और भीड में धक्का–मुक्की होने से उसकी मारपीट हो गई थी और उसी में उसकी चैन कहीं गिर गई थी।

7. फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) का कहना है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेख कराई थी जो कि प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था। साक्षी का कहना है कि उसने अपनी सोने की चेक के संबंध में ज्योति श्री ज्वैल्र्स की रसीद प्र.पी. 03 एवं दो खाली पेनड्राईव दी थी, जिसके संबंध में पुलिस ने जप्ती पंचनामा प्र.पी. 04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कहना है कि

उसने पुलिस थाने में जाकर अपनी सोने की चैन की पहचान की थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी. 05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी अशोक (अ.सा.02) ने भी फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) के कथनों का सारतः समर्थन किया है। फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) को न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण मनीषा, रचना, राहुल ने उसे मां–बहन की अश्लील गालियां दी थी तथा तीनों अभियुक्तगण मनीषा, रचना एवं राहुल द्वारा घटना के समय उसकी सोने की चैन लूट ली थी। इस साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को भी असत्य बताया है कि उसने थाने में घटना स्थल का सी.सी.टी.व्ही. फुटेज देखा था तब तीनों अभियुक्तगण उसके गले से सोने की चैन लूटते दिखाई दिए थे।

9. फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) को अभियोजन पक्ष द्वारा यह सुझाव दिए जाने पर कि उसने सी.सी.टी.व्ही. फुटेज को पेनड्राईव में ट्रांसफर कराकर पुलिस को जप्त कराई थी तो उसने असत्य बताते हुए कथन किया है कि पुलिस ने उससे दो खाली पेनड्राईव मांगी थी, जो उसने पुलिस को जप्त कराई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) के परीक्षण के दौरान प्रकरण में तथाकथित घटना से संबंधित फुटेज की जप्तशुदा पेनड्राईव आर्टिकल ए–1 को न्यायालय के सिस्टम पर चलाकर देखा गया है परंतु उक्त पेनड्राईव में घटना से संबंधित कोई भी डेटा होना नहीं पाया गया है।

10. साक्षी अशोक (अ.सा.02) को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण मनीषा, रचना, राहुल ने फरियादी पुरूषोत्तम को मां–बहन की

अश्लील गालियां दी थी तथा तीनों अभियुक्तगण मनीषा, रचना एवं राहुल द्वारा घटना के समय फरियादी पुरूषोत्तम की सोने की चैन लूट ली थी। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

11. खंडन करने के आशय से फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) का सामना पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 01, पुलिस कथन प्र.पी. 06 तथा साक्षी अशोक (अ.सा.02) का सामना उसके पुलिस कथन प्र.पी. 07 से कराये जाने पर, जिनमें उक्त आशय के कथन अंकित हैं, पुलिस को देने से इंकार किया है। उक्त साक्षियों के कथनों से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन मामले को कदाचित बल प्राप्त होता हो।

12. यहां उल्लेखनीय है कि जबकि स्वयं फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) एवं चक्षूदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित साक्षी अशोक (अ.सा.02) जिन पर संपूर्ण व सारतः अभियोजन मामला निर्भर करता है, ने अभियोजन मामले का कदाचित समर्थन न करते हुए अभियुक्तगण द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा फरियादी/आहत पुरूषोत्तम को मां–बहन की अश्लील गालियां देने व उसके गले से सोने की चैन लूटने संबंधी अभियोजन के सुझाव से इंकार किया है तथा कथित किया है कि स्वयं फरियादी/आहत पुरूषोत्तम के मोटरसाईकिल से टकरा जाने से घटना स्थल पर काफी भीड इक्ठ्ठी हो गई थी और भीड में ही उसके साथ धक्का–मुक्की होकर मारपीट हो गई थी और उसी भीड में उसकी चैन कहीं गिर गई थी। यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कथित की फुटेज के संबंध में तथाकथित जप्तशुदा पेनड्राईव आर्टिकल ए–1 को न्यायालय के सिस्टम में चलाए जाने पर पेनड्राईव में घटना से संबंधित कोई भी डेटा होना नहीं पाया गया है तब अभियोजन का मामला युक्तियुक्त रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि, न्यायालय में किया गया कथन ही सारवान साक्ष्य होती है तथा दं.प्र.सं. की धारा 161 के कथन मात्र अनुसमर्थन एवं खण्डन के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं, न कि मूल साक्ष्य के रूप में। प्रकरण में फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) तथा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित साक्षी अशोक (अ.सा.02) के कथन कराए गए हैं। साक्षी अशोक (अ.सा.02) जो कि फरियादी के दोस्त होकर उससे हितबद्ध हैं, स्वयं फरियादी पुरूषोत्तम (अ.सा.01) व साक्षी अशोक (अ.सा.02) ने अभियोजन मामले का कदाचित समर्थन नहीं किया है। तब ऐसी स्थिति में इन साक्ष्य का कोई विशिष्ट मूल्य नहीं रह जाता। साथ ही अभिलेख पर अभियुक्तगण मनीषा, रचना एवं राहुल के विरूद्ध ऐसी कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण द्वारा आक्षेपित अपराध किया गया हो। अतः अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में संलिप्त होने के संबंध में प्रमाण का अभाव है।

14. अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। विचाराधीन प्रकरण में अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा दिनांक 15.02.2024 को समय करीब 19.00 बजे से 19.20 बजे के मध्य संजीवनी क्लीनिक के समीप सार्वजनिक लोक स्थान पर या उसके समीप मां–बहन की अश्लील गंदी गालियां देकर फरियादी पुरूषोत्तम एवं अन्य को क्षोभ कारित किया तथा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी पुरूषोत्तम के गले से सोने की चैन छीनकर लूट कारित की थी।

15. अतएव प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध भा.दं.सं. की धारा– 294, 394 के संबध में अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य न पाये जाने से

द.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 294, 394 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. मामले में अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र निर्मित किया जावे।

18. प्रकरण में जप्तशुदा मोटररसाईकिल व जूपीटर स्कूटी तथा सोने की चैन उनके विधिक मालिक को पूर्व से सुपुर्दगी प्राप्त है। अतः सुपुर्दगीनामा भारमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय अनुसार निराकृत।

19. प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल ए–1 की पेनड्राईव साक्ष्य की विषय–वस्तु होने से अभिलेख का भाग रहेगी।

20. आदेश की एक प्रति दं.प्र.सं., 1973 की धारा–365 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश मेरे बोलने पर श्रुतलेख कर टंकित।

आदेश आज दि. 26.07.2025 को हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित।

(शैलजा गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गुना, म.प्र.

(शैलजा गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गुना, म.प्र.

SHAILJA GUPTA

Digitally signed by SHAILJA GUPTA
Date: 2025.07.26 17:28:16 +0530